ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा , रायपुर

क्रमांक /1096/ पुनः आम नीलाम सूचना दिनांक 12/05/2017

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान के निम्न अपलेखित वाहनों की नीलामी दिनांक 26/05/2017 (शुक्रवार) को संस्थान परिसर में समय दोपहर 03:00 बजे की जायेगी। नीलाम से संबंधित अन्य जानकारी /शर्त, संस्थान के कार्यालय अथवा वेबसाईट **www.cgsird.gov.in** से प्राप्त करें।

अनु.क्र.	वाहन का पंजीयन क्रमांक	खरीदी वर्ष	वाहन का मॉडल	अवरोध मूल्य (रू. में)
1.	सी.जी.–02–2022	2003	मारुती 800, पेट्रोल इंजन	22,000/–
2.	सी.जी.–02–2500	2004	टाटा इंडिगो कार, पेट्रोल इंजन	32,000/–
3	सी.जी.–02–1513	2002	मारुती वेन, पेट्रोल इंजन	16,000/–

नियम एवं शर्तें :–

1. वाहन जिस स्थिति में है, जहां है, उसका प्रदाय भी उसी स्थिति में किया जायेगा।
2. प्रत्येक वाहन के लिए अलग–अलग बोली लगाना अनिवार्य होगा। बोली में बढ़ोत्तरी एक बार में रूपये 10000/– से ऊपर की नहीं लगाई जायेगी।
3. प्रत्येक वाहन के लिए अमानत राशि रूपये 5000.00 (रूपये पांच हजार मात्र) के मान से बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट, संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा के नाम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
4. अधिकतम बोली–राशि क्रम के प्रथम बोलीदार एवं उसके नीचे द्वितीय एवं तृतीय क्रम के बोलीदार की अमानत राशि रोककर शेष की अमानत राशि 15 दिवस के भीतर वापस कर दी जावेगी।
5. उच्चतम बोली की कुल राशि पर वेट तथा यथा लागू अन्य कर अलग से देय होगा।
6. प्रथम क्रम के सफल बोलीदार को बोली मूल्य की संपूर्ण राशि बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट कार्यालयीन 07 दिवस के अन्दर सांय 05:00 बजे तक जमा अनिवार्य होगा, राशि जमा नही करने की स्थिति में अमानत राशि राजसात करते हुए द्वितीय क्रम के अधिकतम बोलीदार को 05 दिवस के भीतर संपूर्ण राशि जमा करने हेतु निर्देशित कर दिया जायेगा। उनके द्वारा भी राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अमानत राशि राजसता करते हुए, तृतीय क्रम के अधिकतम बोली लगाने वाले को 05 दिवस के भीतर संपूर्ण राशि जमा करने हेतु निर्देश दिये जाने हेतु विचार किया जावेगा।
7. सफल बोलीदार द्वारा 15 दिवस के अन्दर वाहन उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसके नाम पर बोली निरस्त की जा सकेगी।
8. संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा को समस्त
9. वाहन पर वर्तमान में शासकीय पंजीयन क्रमांक अंकित है जिसे आर.टी.ओ से क्रेता द्वारा अपने नाम पर नया पंजीयन क्रमांक कराने के उपरान्त ही उपयोग में लाया जा सकेगा, अन्यथा संबंधित क्रेता के द्वारा शासकीय वाहन को शासकीय पंजीयन क्रमांक के साथ उपयोग किये जाने पर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होगा।

–00–